प्रकरण संख्या 30/2025

अनवान जगजीत सिह बनाम बरजिन्द्र सिह

6.6.2025

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का भली-भांति अवलोकन किये जाने पर जगजीत सिह पुत्र नक्षत्र सिह को चक 9 एनकेआर खाता संख्या 40/31 में दर्ज भूमि में मन्जूर शुद्दा रास्ते का अभाव होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी खातेदारी भूमि मे से चक 9 एनकेआर प.न. 131/155 मु.न. 40 किला नं. 24/3 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा की ओर किला नं. 25 से चिपता हुआ 0.013 है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु राजीनामा पेश किया गया। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एनकेआर प.न. 131/155 मु.न. 40 किला नं. 24/3 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा की ओर किला नं. 25 से चिपता हुआ 0.013 है. रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मंजूरशुद्दा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 6.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner